उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्याः 1847 / VII-A-1 / 2025–08(ख) / 2016
देहरादूनः दिनांकः 15 जुलाई, 2025

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 67 सन् 1957) की धारा 9–ख की उपधारा (3) और धारा 15 एवं 15क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास नियमावली, 2017 तथा इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों एवं आदेशों को अतिक्रमित करते हुए उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास नियमावली, 2025 को निम्नवत प्रख्यापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है, अर्थात् :–

उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास नियमावली, 2025

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास नियमावली, 2025 है।

(2) यह प्रख्यापित होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

(3) यह सम्पूर्ण प्रदेश में सभी प्रकार के खनिजों पर लागू होगी।

परिभाषाएं

2. जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में,

(क) अधिनियम से समय–समय पर यथा संशोधित खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 अभिप्रेत है;

(ख) 'प्रभावित क्षेत्र' से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जहां खनन संकियाएं की जा रही है या जारी हो;

(ग) 'प्रभावित व्यक्ति' से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे खनन से सम्बन्धित क्रियाकलापों द्वारा व्यक्तिगत रूप से क्षति होती है या जिसकी सम्पत्ति की क्षति होती है;

(घ) 'निधि' से न्यास की निधि अभिप्रेत है;

(ड) 'सरकार' से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है,

(च) 'परिहार धारकों' से अधिनियम अथवा उसके अन्तर्गत बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों के अधीन स्वीकृत खनन पट्टा, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन अनुज्ञा पत्र के धारक अभिप्रेत है;

(छ) 'खनिज और उपखनिज' से ऐसे खनिज अभिप्रेत है, जो अधिनियम की धारा 3 में परिभाषित है;

Scanned with OKEN Scanner

(ज) 'न्यास विलेख' से राज्य सरकार द्वारा न्यासियों के पक्ष में निष्पादित विलेख अभिप्रेत है।

(झ) 'न्यास/न्यासीगण' से न्यास को शासित करने के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति/व्यक्ति अभिप्रेत है;

राज्य स्तरीय निगरानी समिति

3. (क) राज्य स्तरीय निगरानी समिति का गठन एवं प्रबंध निम्नानुसार होगाः–

(क)	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष
(ख)	सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
(ग)	सचिव, नियोजन विभाग	सदस्य
(घ)	क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरों, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून	सदस्य
(ङ)	सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य सचिव

नोट–

(1) भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, राज्य में डी0एम0एफ0 की गतिविधियों की निगरानी के लिये 'राज्य स्तरीय नोडल डी0एम0एफ सेल' का गठन करेगा। उक्तानुसार गठित सेल, राज्य स्तरीय निगरानी समिति के सचिवालय के रुप में कार्य करेगा।

(2) राज्य स्तरीय निगरानी समिति डी0एम0एफ0 के प्रर्दशन और पारदर्शिता मापदण्डों के अनुपालन डी0एम0एफ0 की लेखा परीक्षा और वार्षिक रिपोर्ट की निगरानी करेगी।

(3) राज्य स्तरीय निगरानी समिति की वर्ष में कम से कम दो बार बैठकें होगी।

न्यास के उद्देश्य

4. न्यास के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :–

(1) खनन संक्रियाओं या अन्य सम्बन्धित क्रियाकलापों एवं खनिज परिवहन से प्रभावित व्यक्तियों एवं क्षेत्रों के हित तथा उनकी प्रसुविधा के लिए कार्य करना;

(2) प्रभावित व्यक्ति एवं क्षेत्रों की प्रसुविधा के लिए जिला खनिज फाउन्डेशन में संग्रहित निधियों का उपयोग करना;

(3) ग्राम सड़क, जलीय स्थान एवं अन्य सामान्य सुविधाओं को विकसित करने हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत के परामर्श पर निधि का उपयोग करना;

न्यास का गठन एवं प्रबन्ध

5. न्यास का गठन एवं प्रबन्ध नियमानुसार होगा :–

(1) न्यास में एक शासी परिषद् एवं एक प्रबन्ध समिति होगी;

Scanned with OKEN Scanner

(2) न्यास का प्रबन्ध करने का प्राधिकार शासी परिषद् में निहित होगा;

(3) शासी परिषद् का गठन निम्नानुसार होगाः–

(क)	जिलाधिकारी/उपायुक्त/जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
(ख)	सम्बन्धित मा0 सदस्यगण लोकसभा	सदस्य
(ग)	सम्बन्धित मा0 सदस्यगण राज्यसभा	सदस्य
(घ)	मा0 सदस्यगण विधान सभा (प्रभावित खनन क्षेत्र से सम्बन्धित)	सदस्य
(ड)	जिलाधिकारी द्वारा नामित जनपद के दो गणमान्य व्यक्ति (जो कि खनन प्रभावित क्षेत्र में विकास कार्य से सम्बन्धित हो)	सदस्य
(च)	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
(छ)	मुख्य चिकित्साधिकारी	सदस्य
(ज)	सिंचाई विभाग का प्रतिनिधि (जो अधिशासी अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो)	सदस्य
(झ)	लघु सिंचाई विभाग का प्रतिनिधि (जो अधिशासी अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो)	सदस्य
(ञ)	पेयजल विभाग का प्रतिनिधि (जो अधिशासी अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो)	सदस्य
(ट)	लोक निर्माण विभाग का प्रतिनिधि (जो अधिशासी अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो)	सदस्य
(ठ)	जिला शिक्षा अधिकारी	सदस्य
(ड)	जिला पंचायत अधिकारी	सदस्य
(ण)	उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव द्वारा जनपद हेतु नामित अधिकारी	सदस्य
(त)	अधिशासी अभियन्ता (विद्युत वितरण विभाग) जनपद स्तरीय अधिकारी	सदस्य

Scanned with OKEN Scanner

(थ)	खनन गतिविधि प्रभावित ग्राम के ग्राम प्रधान	सदस्य
(द)	जिला खान अधिकारी	सदस्य सचिव

नोटः–

1– सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी/उपायुक्त/जिला कलेक्टर के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति शासी परिषद के अध्यक्ष के रुप में कार्य नहीं कर सकेगा।

2–यदि किसी जिले में मा0 सदस्य, लोकसभा है, तो उस जिले के लोक सभा सांसद शासी परिषद के सदस्य होंगे। यदि किसी जिले में लोक सभा के एक से अधिक सदस्य है, तो खनन प्रभावित क्षेत्रों वाले सभी सांसद शासी परिषद के सदस्य होंगे।

3– यदि किसी लोक सभा सांसद का निर्वाचन क्षेत्र एक से अधिक जिलों में पडता है, तो लोक सभा सांसद ऐसे सभी जिलों की शासी परिषद का सदस्य होगें, जंहा खनन प्रभावित क्षेत्र उसके निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है।

4– किसी राज्य में राज्य सभा सांसद उसके द्वारा चुने गए एक जिले की शासी परिषद का सदस्य होगें। (राज्यसभा सांसद उसके द्वारा चुने गए जिले का नाम सचिव, खनन विभाग को सूचित करेंगे, जो सम्बन्धित जिलाधिकारी उपायुक्त/जिला कलेक्टर को सूचित करेंगे)

5– प्रभावित क्षेत्र वाले जिले के विधान सभा सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र के हिस्से के रूप में शासी परिषद के सदस्य होंगे, यदि किसी विधान सभा सदस्य का क्षेत्र एक से अधिक प्रभावित जिलों में आता तो, विधान सभा सदस्य ऐसी सभी शासी परिषद का सदस्य होगें।

6–राज्य विधान परिषद के सदस्य (एमएलसी) उनके द्वारा चुने गए एक जिले की शासी परिषद के सदस्य होंगे, एमएलसी अपने द्वारा चुने गए एक जिले का नाम सचिव, खनन विभाग को सूचित करेगा, जो इस सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त/कलेक्टर को निर्देशित करेंगे।

7–शासी परिषद की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार होगी। शासी परिषद की बैठकों की तिथि शासी परिषद के सदस्यो, सांसद सदस्यों की सुविधा के अनुसार तय की जाएगी।

Scanned with OKEN Scanner

8–जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास की प्रबन्ध समिति में जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त/कलेक्टर अध्यक्ष होंगे तथा परियोजनाओं के कियान्वयन के लिये जिम्मेदार जिले के वरिष्ठ अधिकारी सदस्य होंगे। प्रबन्ध समिति में कोई निर्वाचित प्रतिनिधि या मनोनीत प्रतिनिधि गैर सरकारी सदस्य नहीं होंगे।

9–प्रबन्ध समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार होगी।

(4) गैर सरकारी सदस्य का कार्यकाल 03 वर्ष होगा।

(5) कोई सरकारी सदस्य तब पद धारण करने से प्रविरत हो जायेगा, जब वह सरकारी पद धारण करने से प्रविरत हो जाय;

(6) न्यास की दिन प्रतिदिन की कार्य प्रणाली प्रबन्ध समिति में निहित होगी।

(क) प्रबन्ध समिति का गठन निम्नानुसार होगा:–

(एक)	जिलाधिकारी/उपायुक्त/जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
(दो)	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
(तीन)	खनन गतिविधि प्रभावित ग्राम के ग्राम प्रधान	सदस्य
(चार)	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
(पांच)	सिंचाई विभाग का प्रतिनिधि (जो अधिशासी अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो)	सदस्य
(छः)	लघु सिंचाई विभाग का प्रतिनिधि (जो अधिशासी अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो)	सदस्य
(सात)	पेयजल विभाग का प्रतिनिधि (जो अधिशासी अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो)	सदस्य
(आठ)	लोक निर्माण विभाग का प्रतिनिधि (जो अधिशासी अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो)	सदस्य
(नौ)	जिला शिक्षा अधिकारी	सदस्य
(दस)	जिला पंचायत अधिकारी	सदस्य
(ग्यारह)	उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एंव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सदस्य सचिव द्वारा जनपद हेतु नामित अधिकारी	सदस्य

Scanned with OKEN Scanner

(बारह) अधिशासी अभियन्ता (विद्युत वितरण विभाग) सदस्य

(तेरह) जिला खान अधिकारी सदस्य सचिव

न्यास के कृत्य

6. (1) नियम 5 में यथा उल्लिखित 50 प्रतिशत से अधिक सदस्यों की उपस्थिति में जनपदस्तर पर शासी परिषद् की बैठकें सम्बन्धित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त/कलेक्टर की अध्यक्षता में की जायेगी।

(2) खनन संक्रियाओं से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों की प्रसुविधा के लिए प्रस्ताव सम्बन्धित विभाग के परामर्श से सम्बन्धित जिला खान अधिकारी के द्वारा तैयार कर प्रस्तुत किये जायेंगे।

(3) जनपद स्तर के प्रस्ताव निम्नलिखित प्रकृति का होगा :–

(क) क्षेत्र की आधारभूत अवसंरचना उदाहरणार्थ पंहुच मार्ग का निर्माण एवं अनुरक्षण, विद्युत, स्वच्छता, पेयजल सुविधा, हैण्डपम्प तथा न्यास द्वारा अनुमोदित अन्य जनउपयोगी कार्य;

(ख) खनन संक्रियाओं से प्रभावित क्षेत्र में तथा उसके चारों ओर सामान्य वृक्षारोपण;

(ग) खनिज विकास के हित में न्यास द्वारा अनुमोदित अन्य क्रिया–कलाप।

(4) न्यास की बैठक में जिला खान अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का परीक्षण किया जायेगा। न्यास उक्त प्रस्ताव को अनुमोदित, उपान्तरित या अस्वीकृत कर सकता है;

(5) अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों में न्यास द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव को लागू करने से पूर्व ग्राम पंचायत की संस्तुति प्राप्त करनी होगी।

शासी परिषद् की शक्तियां एवं कृत्य

7. जनपद स्तर की शासी परिषद् निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगी :–

(1) न्यास की कार्यप्रणाली के लिए नीतिगत रूपरेखा तैयार करना और समय–समय पर उसकी कार्य पद्धती की समीक्षा करना;

(2) न्यास की वार्षिक कार्य योजना और वार्षिक बजट तैयार किया जाना और उसे अनुमोदित किया जाना।

शासी परिषद् द्वारा वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने के कम से कम एक माह पूर्व वार्षिक कार्य योजना तैयार कर अनुमोदित की जायेगी। वार्षिक कार्य योजना में तत्सम्बन्धी प्रायोगिक उपबन्धों सहित योजनाओं और परियोजनाओं

Scanned with OKEN Scanner

की सूची अन्तर्विष्ट होगी;

परन्तु यह कि यदि किसी भी कारण से शासी परिषद् वार्षिक कार्ययोजना और बजट विनिर्दिष्ट समय के भीतर तैयार कर अनुमोदित नहीं करती है तो अध्यक्ष को न्यास की वार्षिक कार्य योजना तथा बजट तैयार करने और तद्निमित्त कारण अभिलिखित करते हुए उसे अनुमोदित करने की शक्ति होगी। इस प्रकार तैयार किया गया बजट शासी परिषद् द्वारा सम्यक रूप से तैयार एवं अनुमोदित किया गया समझा जायेगा।

परन्तु यह और भी कि आगामी वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक योजना तैयार करते समय पूर्व प्रतिबद्धता और उससे उत्पन्न होने वाली देनदारियों के कुल योग का निर्धारण किया जायेगा। वित्तीय अनुशासन बनाये रखने एवं परियोजना को समय से पूरा करने के लिए पूर्व देनदारियों और प्रतिबद्धताओं और प्रस्तावित की जा रही नई योजनाओं का कुल योग, किसी भी दशा में अगले वित्तीय वर्ष के लिए न्यास में पायी गयी प्रत्याशित अन्तर्प्रवाहों के तीन गुना से अधिक नहीं होगा।

(3) उपलब्ध न्यास निधि से न्यास के उद्देश्यों को अग्रसारित करने में ऐसे अन्य व्यय का अनुमोदन करना जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाये।

(4) प्रबन्ध समिति की संस्तुतियों को अनुमोदित करना।

(5) पूर्ववर्ती वर्ष के समाप्त हाने के 60 दिनों के भीतर न्यास के वार्षिक रिपोर्ट और संपरिक्षित लेखाओं का अनुमोदन करना।

शासी परिषद् की बैठक

8. शासी परिषद् प्रायः यथा आवश्यक बैठक करेगी, किन्तुः–

(1) प्रत्येक छः माह में कम से कम एक बार बैठक करना अनिवार्य होगा।

(2) शासी परिषद् की बैठक का संचालन अध्यक्ष द्वारा यथानिर्दिष्ट रूप में की जायेगी।

(3) ऐसी बैठक के लिए गणपूर्ति शासी परिषद् के कुल सदस्यों के एक तिहाई उपस्थिति से होगी।

प्रबन्ध समिति की बैठक

9. किसी वित्तीय वर्ष में प्रबन्ध समिति की कम से कम चार बार बैठकें होंगी तथा इसका संचालन उसी रूप में किया जायेगा, जैसा कि प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जाय।

Scanned with OKEN Scanner

प्रबन्ध समिति की शक्तियां और कृत्य	10.	प्रबन्ध समिति :–

(1) न्यास के हितों की रक्षा हेतु अपने कर्तव्यों के निष्पादन करने में सम्यक् रूप से तत्परतापूर्वक कार्य करेगी;

(2) अधिनियम और उसके अधीन बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों तथा केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार सम्बन्धित खनन पट्टाधारकों से सामयिक अंशदान निधि संग्रह सुनिश्चित करेगी;

(3) न्यास के क्रियाकलापों के लिए महायोजना दृष्टि अभिलेख तैयार करेगी;

(4) प्रस्तावित योजनाओं और परियोजनाओं सहित न्यास की वार्षिक योजना और वार्षिक बजट की तैयारी में सहायता करेगी;

(5) वार्षिक योजना और अनुमोदित योजनाओं तथा परियोजनाओं का पर्यवेक्षण करेगी और उनका निष्पादन सुनिश्चित करेगी;

(6) परियोजनाओं को अनुमोदित करेगी तथा उक्त प्रयोजनार्थ न्यास निधि का आहरण–वितरण करेगी;

(7) न्यास निधि संचालित करेगी और उसमें तत्परतापूर्वक विनिधान करेगी तथा न्यास के नाम से खाता खोलेगी और ऐसे खातों तथा विनिधानों को संचालित करेगी

(8) न्यास निधि की प्रगति और उसकी उपयोगिता का अनुश्रवण करेगी;

(9) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 60 दिन के भीतर शासी परिषद् के समक्ष उसके अनुमोदन हेतु वार्षिक प्रतिवेदन सहित संपरीक्षित लेखा प्रस्तुत करेगी;

(10) ऐसे अन्य कार्य करेगी, जो न्यास के सुगम कार्य संचालन तथा प्रबन्ध के लिए आवश्यक हो;

(11) न्यास की कार्य प्रणाली के लिए प्रक्रियाओं को विनियमित करेगी।

न्यास निधि हेतु अंशदान	11.	(1) मुख्य खनिजों के मामले में :–

(क) खान और खनिज (विकास और विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रारम्भ होने के दिनांक से पूर्व स्वीकृत खनन पट्टाधारक को स्वामित्व धनराशि के अतिरिक्त जिला, जिसमें खनन संक्रियायें जारी हों, के न्यास के द्वितीय अनुसूची के निर्बन्धनों में संदत्त स्वामित्व धनराशि

Scanned with OKEN Scanner

से अनाधिक धनराशि का भुगतान ऐसी रीति से और खनन पट्टा श्रेणीकरण तथा विभिन्न श्रेणी के पट्टाधारकों द्वारा संदेय धनराशि, जैसा कि केन्द्र सरकार द्वारा विहित किया जाय, के अध्याधीन करना होगा;

(ख) खान और खनिज (विकास और विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रारम्भ होने के दिनांक को या उसके पश्चात् स्वीकृत किसी खनन पट्टा या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति सहखनन पट्टाधारक को किसी स्वामित्व की धनराशि के अतिरिक्त जिला जिसमें खनन संक्रियायें जारी हों, के न्यास को ऐसे प्रतिशत, जो केन्द्र सरकार द्वारा द्वितीय अनुसूची के निर्बन्धनों में संदत्त स्वामित्व धनराशि के विहित ऐसे प्रतिशत के एक तिहाई स्वामित्व धनराशि से अधिक न हो, के बराबर धनराशि का भुगतान करना होगा;

(2) गौण खनिजों के मामले में :–

1. समस्त उपखनिज पट्टाधारक रायल्टी का 15 प्रतिशत रायल्टी के अतिरिक्त जमा करेंगे।

2. ईंट भट्टा समाधान रायल्टी का 10 प्रतिशत अथवा साधारण मिट्टी पर 10 प्रतिशत रायल्टी के अतिरिक्त जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास में जमा की जायेगी।

3. उपखनिजों (बालू, बजरी, बोल्डर, सोपस्टोन, सिलिकासैण्ड आदि) के पट्टाधारक/अनुज्ञाधारक के द्वारा निकासी किये गये उपखनिज पर भुगतान की जाने वाली रायल्टी की धनराशि का 15 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से।

4. सरकारी निर्माण कार्य में उपयोग की जाने वाली बालू, बजरी, बोल्डर पर जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास पर सीधे जमा किये जाने पर रायल्टी का 15 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से।

5. जल विद्युत परियोजना में उपखनिज उपयोग किये जाने पर भुगतान की जाने वाली रायल्टी की धनराशि का 15 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से।

6. नहर/जलाशय सफाई/खुदान से प्राप्त उपखनिज पर भुगतान की जाने वाली धनराशि की रायल्टी का 15 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से।

Scanned with OKEN Scanner

न्यास की निधि का उपयोग

12. न्यास निधि में उपलब्ध निधियों का उपयोग निम्नलिखित समस्त या किसी प्रयोजन के लिए किया जा सकेगा :-

(1) अनुमोदित प्रस्ताव पर व्यय

(2) न्यास के प्रशासनिक व्यय पर 05 प्रतिशत

न्यास के लेखा की सम्परीक्षा

13. जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास द्वारा अधिकृत चार्टड एकाउन्टेट द्वारा जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास की लेखा परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर की जानी चाहिए, जैसा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर सूचित किया जाय। न्यास का अपने स्तर से ऑडिट कराने के साथ ही राज्य सरकार का ऑडिट कराना भी अनिवार्य होगा। प्रत्येक वार्षिक रिपोर्ट जन सामान्य के अवलोकन हेतु उपलब्ध होनी आवश्यक है।

न्यास का प्रबन्धन

14. न्यास का प्रबन्धन शासी परिषद में निहित होगा, जिसमें न्यास के समस्त सदस्य होंगे यद्यपि न्यास के दिन प्रतिदिन का प्रबन्धन नियम 4 के उप नियम (6) में यथापरिभाषित प्रबन्ध समिति द्वारा किया जायेगा तथापि राज्य सरकार किसी भी समय प्रबन्ध समिति के गठन में परिवर्तन करने का विनिश्चिय कर सकती है।

न्यासियों के विनिश्चय

15. (1) शासी परिषद की बैठक में समस्त विनिश्चय न्यासी द्वारा किये जायेंगे और शासी परिषद की प्रत्येक बैठक न्यास की बैठक समझी जायेगी।

(2) शासी परिषद के समस्त विनिश्चय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किये जायेंगे। समान मतों की दशा में बैठक के अध्यक्ष का मतदान निर्णायक होगा।

(3) जब तक राज्य सरकार द्वारा सहमति प्रदान न कर दी जाय तब तक न्यासीकरण को न्यास के विलेख के किसी भाग में संशोधन का अधिकार नहीं होगा।

(4) न्यासीगण, शासी परिषद और प्रबन्ध समिति को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों और मार्गदर्शनों आदि के अनुसार कार्य करना होगा।

न्यास निधि का संचालन

16. न्यास निधि, न्यास के नाम से पब्लिक सैक्टर बैंक अथवा किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (विदेशी बैंको को छोडकर) में रखी जायेगी। बैंक खाता राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से खोला जायेगा और उसके खाते का संचालन सदस्य सचिव और प्रबन्ध समिति द्वारा प्राधिकृत प्रबंध समिति के सदस्य के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा। न्यास इस निधि की लेखा पुस्तिका अनुरक्षित करेगा।

(क) न्यास निधि, न्यास के नाम से पब्लिक सैक्टर बैंक अथवा किसी अनुसूचित

Scanned with OKEN Scanner

वाणिज्यिक बैंक (विदेशी बैंको को छोडकर) के बचत खाते में रखी जायेगी।

न्यास की परिधि

17. प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना और केन्द्र एवं राज्य सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं का कियान्वयन न्यास के लिये प्रोद्भूत होने वाली निधियों का प्रयोग करते हुये सम्बन्धित जिलों के न्यास द्वारा किया जायेगा। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना तथा राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं का समग्र लक्ष्य निम्नानुसार है–

(क) खनन प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विकास संबंधी और कल्याणकारी परियोजनाओं/कार्यक्रम किन्यान्वित करना, परियोजनाओं और ऐसी परियोजना/कार्यकम राज्य और केन्द्र सरकार की विद्यमान में जारी योजनाओं/परियोजनाओं के लिये कियान्वित किये जायेंगे।

(ख) खनन वाले जिलों में लोगो के पर्यावरण, स्वास्थ्य और सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर खनन के दौरान या इसके पश्चात पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को न्यून करना/उसमें कमी लाना और

(ग) खनन क्षेत्रों में प्रभावित लोगो के लिये दीर्घकालिक सम्पोषणीय जीविका सुनिश्चित करना।

प्रभावित क्षेत्र

18 (क) प्रत्यक्ष रुप से प्रभावित क्षेत्र (Directly affected area):-

गांव या ग्राम पंचायतें या शहरी स्थानीय निकाय (यू0एल0वी0) जिसके अन्तर्गत उप खनिजों की खदाने स्थित है और संचालित है, ऐसे खनन क्षेत्र अन्य गांव/ब्लॉक/जिला/राज्य तक विस्तारित हो सकते है:–

(i) किसी खदान या खदानों के समूह (Cluster) से ऐसी परिधि के भीतर का क्षेत्र, जैसा राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय।

(ii) ऐसे गांव/वार्ड जिनमें खदानों से विस्थापित परिवारों को परियोजना प्राधिकारियों द्वारा पुनर्स्थापित/पुनर्वासित किया गया है।

(iii) ऐसे गांव/वार्ड जो अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खनन क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण रूप से निर्भर है और जिनके पास परियोजना क्षेत्रों पर उपभोगाधिकार और पारम्परिक अधिकार है, उदाहरण के लिये चराई, लघु वनोपज संग्रहण आदि के लिये सीधे प्रभावित क्षेत्र माना जाए।

Scanned with OKEN Scanner

बर्शते कि प्रत्यक्ष रुप से प्रभावित क्षेत्र किसी खदान या खदानों के समूह से ऐसे दायरे के भीतर का क्षेत्र है, जिसे राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, किन्तु यह क्षेत्र गौण खनिजों से भिन्न खनिजों की खदानों की सीमा से 15 किलोमीटर से अधिक विस्तारित नहीं होगा।

(ख) अप्रत्यक्ष रुप से प्रभावित क्षेत्र (Indirectly affected area)

1–ऐसे क्षेत्र जहां गौण खनिजों के अलावा अन्य खनिजों के खनन सम्बन्धी कार्यो के कारण आर्थिक, समाजिक, और पर्यावरणीय प्ररिणामों के कारण स्थानीय आबादी पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है।

2–खनन के प्रमुख नाकारात्मक प्रभाव जल, मिट्टी और हवा की गुणवत्ता में गिरावट, जलधारा प्रवाह में कमी एवं भू–जल की कमी, खनन कार्यो के कारण प्रदुषण, खनिजों का परिवहन, मौजूदा बुनियादी ढांचे और संसाधनों पर बढता बोझ के रुप में हो सकता है।

3–अप्रत्यक्ष रुप से प्रभावित क्षेत्र वह क्षेत्र है, जो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र से परे है तथा किसी खदान या खदानों के समूह से ऐसी परिधि के भीतर है, जिसे राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, लेकिन सरकार द्वारा अनुमोदित गौण खनिजों के अलावा अन्य खनिजों की खदानों की सीमा से 25 किलोमीटर से दूर नहीं होना चाहिए, चाहें वह सम्बन्धित जिले या समीपवर्ती जिलों के अन्तर्गत आता हो।

4–डीएमएफ ऐसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रुप से प्रभावित क्षेत्रों की एक अद्यतन सूची तैयार कर प्रस्तुत करेगा।

प्रभावित व्यक्ति 19 (क) प्रभावित व्यक्तिः–

निम्नलिखित व्यक्ति सीधे तौर पर प्रभावित व्यक्तियों की श्रेणी में माने जायेंगेः–

1–भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013, की धारा 3 (सी) के तहत परिभाषित "प्रभावित परिवार"।

2–भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013, की धारा 3 (के) के तहत परिभाषित

Scanned with OKEN Scanner

"विस्थापित परिवार"।

3–प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से प्रभावित क्षेत्र में सम्बन्धित ग्राम सभा/यूएलबी द्वारा उचित रुप से पहचाना गया अन्य कोई भी।

(ख) खनन से प्रभावित व्यक्तियों में ऐसे लोग शामिल होने चाहिए, जिनके पास खनन की जाने वाली भूमि पर विधिक और व्यावसायिक अधिकार है, जिनके पास उपभोग और पारम्परिक अधिकार है और वें लोग जिनकी आजिविका खनन के कारण प्रभावित हुयी है।

(ग) जंहा तक सम्भव हो, प्रभावित परिवारों की पहचान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र में ग्राम सभा/शहरी स्थानीय निकाय (यू0एल0वी0) के स्थानीय/निर्वाचित प्रतिनिधियों के परामर्श से की जाएगी।

(घ) जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास ऐसे प्रभावित व्यक्तियों/स्थानीय समुदायों की एक अद्यतन सूची तैयार करेगा और उसका रखरखाव करेगा। इस सूची को अद्यतन करने के लिये प्रत्येक पांच वर्ष में कम से कम एक बार पुनर्विलोकन किया जायेगा।

अनुसूचित क्षेत्रों हेतु विशेष प्रावधान

20. (1) अनुसूचित क्षेत्रों में प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अन्तर्गत निधियों के उपयोग के लिये अपनायी जाने वाली प्रकिया, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से सम्बन्धित संविधान की अनुसूची V एवं अनुसूची VI के साथ पठित अनुच्छेद 244 में निहित प्रावधानों और पंचायतों (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 और अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किया जाय।

अनुसूचित क्षेत्रान्तर्गत खनन गतिविधि से प्रभावित गांवों के लिये ग्राम सभा का अनुमोदन निम्न हेतु आवश्यक हैं :–

(क) प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अन्तर्गत शुरू की जाने वाली योजनाओं, कार्यकमों और परियोजनाओं के लिये।

(ख) राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में जारी दिशा–निर्देशों के तहत लाभार्थियों की पहचान।

(2) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात सम्बन्धित गांव में प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अन्तर्गत किये गये कार्यों की रिपोर्ट ग्राम

सभा को प्रस्तुत की जाएगी।

(ग्राम सभा का वही अर्थ होगा जैसा कि पंचायती राज (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम 40) के प्रावधानों के कियान्वयन के प्रयोजनार्थ उसे दिया गया है।

न्यास निधि के व्यय

21. न्यास में उपलब्ध निधियों का व्यय/उपयोग निम्नलिखित के लिये किया जायेगा:—

(1) उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र— प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना निधि का कम से कम 70 प्रतिशत उपयोग निम्नलिखित मदों में किया जायेगा :—

(क) पेयजल आपूर्ति :— केन्द्रीयकृत शुद्धीकरण प्रणाली, जल उपचार संयंत्र, पेयजल के लिये स्टैंडअलोन सुविधाओं सहित स्थायी/अस्थायी जल वितरण नेटवर्क, जिसमें पेयजल की आपूर्ति हेतु जल पाईपलाईन बिछाने की अच्छी सुविधा सम्मिलित है।

(ख) पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के उपाय :— बहिःश्रोत उपचार संयंत्र क्षेत्र में नदियों झीलों, तालाबों, भू—जल, अन्य जल स्रोतों के प्रदूषण की रोकथाम, खनन संकियाओं और भण्डारणों से उत्पन्न वायु एवं धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय, खान जल निकासी प्रणाली, खनन प्रदूषण निवारण तकनीकें, कार्यशील या परित्यक्त खानों के लिए उपाय, अन्य वायु, जल तथा भू—सतह प्रदूषण नियंत्रण के तौर तरीके, पर्यावरणीय सौहार्द एवं सम्पोषणीय खान विकास हेतु वैज्ञानिक जिला सर्वेक्षण रिर्पोट तैयार करना, तथा पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के प्रयोजन से अवैध खनन/परिवहन पर नियंत्रण रखने हेतु तकनीकी अवसंरचनाओं से सृजन हेतु आवश्यक उपकरण एवं कार्मिक उपलब्ध कराना।

(ग) स्वास्थ्य देखभाल :—प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिक/द्वितीयक/तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के सृजन पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिये। स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना के सृजन पर ही केवल बल नहीं दिया जाना चाहिये बल्कि ऐसी प्रभावी सुविधा उपलब्ध कराने के लिये अपेक्षित आवश्यक कर्मचारी, उपकरण और आपूर्तियों के उपबन्ध पर भी बल दिया जाना चाहिये। उस सीमा तक स्थानीय निकायों,

Scanned with OKEN Scanner

राज्यों और केन्द्र सरकार के विद्यमान स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना के अनुरूप अनुपूरक प्रयास और कार्य किया जाना चाहिये। राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान में उपलब्ध विशेषज्ञ को भी खनन से सम्बन्धित बीमारी और रोगो की देखभाल करने के लिये आवश्यक विशेष अवसंरचना को अभिकल्पित करने के लिये ध्यानाकर्षित किया जा सकता है। सामूहिक स्वास्थ्य देखभाल बीमा योजना, खनन से प्रभावित व्यक्तियों के लिये कियान्वित की जा सकती है।

(घ) शिक्षा :– विद्यालय भवनों, अतिरिक्त शिक्षण कक्षाओं, प्रयोगशालाओं पुस्तकालयों, कला और हस्तकला कक्ष, सामूहिक शौचालय का निर्माण, पेयजल उपबन्ध सुदूरवर्ती क्षेत्रों में छात्रों/अध्यापकों के लिये आवासीय छात्रावास, खेल अवसंरचना, व्यवसायिक प्रशिक्षण सुविधा, अध्यापकों एवं अन्य सहायक कर्मचारियों को कार्य में लगाया जाना, इंटरनेट के माध्यम से शिक्षण व्यवस्था, परिवहन सुविधाओं (बस/वैन /साईकिल/रिक्शा आदि) और पौष्टिकता से सम्बन्धित कार्यक्रमों की व्यवस्था किया जाना।

(ड़) महिला एवं बाल कल्याणः– मातृ एवं बाल स्वास्थ्य, कुपोषण, किशोरावस्था तथा संकामक रोगो से सम्बन्धित समस्याओं का पता लगाने हेतु विशेष कार्यक्रम न्यास के अधीन किये जायेगे।

(च) वयोवृद्ध एवं निःशक्त लोगो का कल्याणः– वयोवृद्ध एवं निःशक्त लोगों के कल्याण हेतु विशिष्ट कार्यक्रम।

(छ) कौशल विकासः– आजीविका अवलम्ब एवं आय सृजन हेतु कौशल विकास और स्थानीय पात्र व्यक्तियों के लिये आर्थिक गतिविधियों/ परियोजनाओं/योजनाओं में प्रशिक्षण व्यावसायिक/कौशल विकास केन्द्र का विकास स्वरोजगार योजनाऐं, स्वयं सहायता समूह अवलम्ब और ऐसे स्वरोजगार सम्बन्धी आर्थिक कियाकलापों हेतु अगडे और पिछडे लोगों के प्रति जुडाव का उपबन्ध सम्मिलित है।

(ज) स्वच्छता :– अपशिष्ट का संग्रहण, परिवहन और निस्तारण, सार्वजनिक स्थलों की सफाई, जल निकास और मल उपचार संयंत्र

Scanned with OKEN Scanner

का उपबन्ध, कीचड निस्तारण उपबन्ध और प्रसाधन तथा अन्य सम्बन्धित कियाकलापों से सम्बन्धित उपबन्ध।

(झ) आवास–ऐसे खनन प्रभावित क्षेत्र जो केन्द्रीय/राज्य की आवासीय योजना से अच्छादित नहीं है, के लिये पक्के अवास का प्रावधान।

(ञ) कृषि–

1–कृषि, बागवानी और कृषि वानिकी से सम्बन्धित गतिविधियाँ।

2–प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों को सहायता।

3–एफपीओ/सामूहिक/सहकारी समितियों को सहायता।

4–खाद्य प्रसंस्करण ईकाईयों की स्थापना के लिए सहायता।

5–कोल्ड स्टोरेज सहित भण्डारण, बाजार, यार्ड आदि जैसी विपरण सुविधाये।

6–वृक्षारोपण, औषधीय जडी बूटी का प्रसंस्करण।

(ट) पशुपालन–

1–पशुधन, मुर्गीपालन, सुअर पालन, मत्स्य पालन, चारा और चारे के विकास को बढावा देना।

2–पशुपालन, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), स्वंय सहायता समूह (एस0एच0जी0), किसान सहकारी संगठनों (एफ0सी0ओ0) में नवाचार का सर्मथन करना।

(2) अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र– 30 प्रतिशत तक की निधि का उपयोग निम्नलिखित मदों में किया जायेगा–

(क) भौतिक अवसंरचना :– अपेक्षित भौतिक अवसंरचना सडक, पुल, रेलमार्ग तथा जलमार्ग सम्बन्धी परियोजनाओं का उपबन्ध और अनुरक्षण।

(ख) सिचांई:– सिंचाई के वैकल्पिक स्रोत को विकसित करना और उपयुक्त तथा विकसित सिंचाई तकनीकों को अंगीकृत करना।

(ग) ऊर्जा एवं जलविभाजक विकास :– उर्जा एवं वर्षा जल संचायन प्रणाली के वैकल्पिक स्रोत का विकास, फलोद्यानों, एकीकृत कृषि और आर्थिक एवं जलागम पुनर्स्थापन का विकास।

Scanned with OKEN Scanner

(घ) खनन वाले जिलों में पर्यावरणीय गुणवत्ता में वृद्धि करने हेतु कोई अन्य उपाय :–

(एक) फाउन्डेशन के न्यासियों द्वारा उक्त प्रयोजन हेतु तैयार की गयी वार्षिक कार्य योजना के अनुसार जिले में खनन संक्रियाओं से प्रभावित क्षेत्र का समग्र विकास।

(दो) सामाजिक और आर्थिक प्रयोजनों के लिये स्थानीय अवसंरचना का सृजन।

(तीन) खनन संक्रियाओं से प्रभावित क्षेत्र में स्थानीय जनसंख्या के लिये सामुदायिक आस्तियों और सेवाओं की व्यवस्था करना, अनुरक्षण करना और उनका उच्चीकरण करना।

(चार) रोजगार एवं स्वरोजगार क्षमताओं के सृजन हेतु कौशल विकास तथा क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना तथा संचालित करना।

परन्तु यह कि वर्ष में न्यास द्वारा प्राप्त कुल निधियों की 5 प्रतिशत से अनाधिक धनराशि न्यास द्वारा अपने प्रशासनिक या अधिष्ठान सम्बन्धी व्ययों की पूर्ति के लिये व्यय की जा सकेगी।

परन्तु यह और भी कि न्यास की निधि या उसके किसी भाग का प्रयोग, किसी लाभग्राही के किसी ऋण के अग्रिम के लिये या उसे नगद अनुदान प्रदान करने के लिये नहीं किया जायेगा।

पंचवर्षीय प्रोस्पेक्टिव योजना /वार्षिक योजना

22 जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास निधि के लिए खनिज प्रभावित क्षेत्रों के व्यक्तियों के कल्याण के लिए दीर्घकालिक योजना बनाये जाना और उसका कियान्वयन किया जाना आवश्यक है:–

(i) जिला परिप्रेक्ष्य योजना निर्माण के लिए शैक्षणिक संस्थानों, प्रसिद्ध संगठनो, एजेंसियों के माध्यम से एक आधारभूत सर्वेक्षण आयोजित करेंगे। ग्राम सभा, स्थानीय निकाय आवश्यकतानुसार मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने में सहायता कर सकते हैं यदि उपलब्ध हो तो डीएमएफ किसी भी विभाग द्वारा किए गए बेसलाइन सर्वेक्षण का भी उपयोग कर सकता है। सर्वेक्षणों के संदर्भ और

Scanned with OKEN Scanner

प्रमुख निष्कर्षो को जिले के लिए पीएमकेकेकेवाई के तहत परिप्रेक्ष्य योजनाओं में शामिल किया जाना होगा।

(ii) बेसलाइन सर्वेक्षण या ऐसे किसी सर्वेक्षण/आकलन के माध्यम से पहचाने गए निष्कर्षो और अंतरालों के आधार पर, डीएमएफ पांच साल के लिए एक रणनीति तैयार करेगा और उसे परिप्रेक्ष्य योजना में शामिल किया जाएगा। पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना उपलब्ध वर्तमान शेष राशि और पांच वर्षो की अवधि में डीएमएफ में संभावित संचय को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाएगी। पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना को वर्षवार कार्य योजनाओं में विभाजित किया जाएगा।

(iii) पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना में सभी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिलाओं और बच्चों के कल्याण आदि, सड़क, सिंचाई आदि जैसे अन्य क्षेत्रों पर अलग–अलग खंड होंगे।

(iv) पांच वर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना को डीएमएफ की शासी परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और डीएमएफ की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(v) प्रत्येक वर्ष शासी परिषद द्वारा अनुमोदित की जाने वाली डीएमएफ की वार्षिक योजनाएं पाँच–वर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना और पिछले वर्षो में अपने लक्ष्यों को पूरा करने में प्राप्त सफलता पर आधारित होंगी। वार्षिक योजनाओं में अत्यावश्यक समझे जाने वाले कुछ अन्य कार्य और व्यय शामिल हो सकते हैं, हालांकि वार्षिक योजना के अधिकतम 10 प्रतिशत तक परिप्रेक्ष्य योजना में शामिल नहीं होते हैं।

(vi) राज्य सरकार आधारभूत सर्वेक्षण करने और पांच साल की संभावित योजनाएं तैयार करने के लिए प्रसिद्ध संगठन/एजेंसियों/विश्व विद्यालयों को सूचीबद्ध कर सकती है।

(vii) शासी परिषद वित्तीय वर्षो में शुरू की जाने वाली परियोजनाओं की सूची सहित पांच साल की परिप्रेक्ष्य योजना और वार्षिक योजना को मंजूरी देगी।

खनिज फाउन्डेशन न्यास निधि से धनराशि स्थानान्तरण पर

23 खनिज फाउन्डेशन न्यास निधि से धनराशि स्थानान्तरण पर प्रतिबन्धः–

(i) जिला खनिज फाउन्डेशन द्वारा धन के उपयोग के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 9 बी के प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाएगा।

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिबन्ध

(ii) जिला खनिज फाउन्डेशन से राज्य के खजाने या राज्य स्तरीय फंड (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो) या मुख्यमंत्री राहत कोष या किसी अन्य फंड या योजना में किसी भी तरह से कोई फंड हस्तान्तरित नहीं किया जाऐगा और

(iii) जिला खनिज फाउन्डेशन की निधि से किसी भी व्यय की स्वीकृति या अनुमोदन राज्य स्तर पर राज्य सरकार या किसी राज्य स्तरीय एजेंसी द्वारा नहीं किया जाएगा।

(iv) किसी जिले के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों के बाहर या नियम 19 में परिभाषित प्रभावित लोगों के अलावा कोई भी धनराशि खर्च नहीं की जाएगी।

(v) नियम 34 में उल्लिखित के अलावा किसी भी तरीके से कोई भी फंड एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

(vi) डीएमएफ से धनराशि के व्यय की स्वीकृति पूरी तरह से डीएमएफ की शासी परिषद के पास है। राज्य सरकार या राज्य स्तरीय समिति (चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाए) के पास परियोजनाओं की स्वीकृति पर व्यापक अधिकार नहीं होगा और उनका कार्य पीएमकेकेकेवाई के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के प्रभावी कियान्वयन की निगरानी तक सीमित होगा।

पारदर्शिता एंव उत्तरदायित्व

24 पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्वः—

(क) प्रत्येक फाउन्डेशन एक वेबसाइट तैयार करेगा और उसका रखरखाव करेगा या जिला प्रशासन की वेबसाइट पर एक विशिष्ट अनुभाग तैयार कर उसका रखरखाव करेगा, जिस पर अन्य बातों के साथ—साथ निम्नलिखित सूचनाएं दर्शायी जायेगी और अद्यतन रखी जाएगीः—

(i) डीएमएफ की शासी परिषद और प्रबन्ध समिति, चाहें जिस भी नाम से पुकारी जाय, की संरचना का विवरण।

(ii) खनन से प्रभावित क्षेत्रों और लोगों की सूची (आवधिक अद्यतनीकरण सहित)।

(iii) पट्टेदारों और अन्य लोगों से प्राप्त सभी अंशदानों का त्रैमासिक विवरण।

(iv) डीएमएफ की सभी बैठकों के एजेंडे, कार्यवृत्त और की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर)।

(v) दस्तावेज जारी होने के 30 दिनों के भीतर 5 साल की परिप्रेक्ष्य योजना,

Scanned with OKEN Scanner

बंदोबस्ती निधि के निवेश का विवरण, वार्षिक योजनाएं और बजट, कार्य आदेश और वार्षिक रिपोर्ट।

(vi) चल रहे कार्यो की ऑनलाइन स्थिति– पीएमकेकेकेवाई के तहत किए जा रहे सभी परियोजनाओं/कार्यक्रमों की कार्यान्वयन स्थिति/प्रगति वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जानी चाहिए, जिसमें कार्य का विवरण, लाभार्थियों का विवरण, अनुमानित लागत, कार्यान्वयन एजेंसियों का नाम, कार्य प्रारम्भ करने और पूरा होने की अपेक्षित तिथि, पिछली तिमाही तक की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आदि शामिल होनी चाहियें।

(vii) विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाभार्थियों की सूची।

(viii) सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत स्वैच्छिक खुलासे।

(ख) प्रत्येक फाउन्डेशन परियोजना स्थल पर एक नोटिस बोर्ड पर परियोजना का विवरण और स्वीकृत राशि प्रदर्शित करेगा।

(ग) सोशल मीडिया, फिल्मों, वीडियों आदि के माध्यम से पीएमकेकेकेवाई के तहत कार्यान्वित योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियां।

(घ) जिला खनिज फाउन्डेशन (डीएमएफ) धनराशि जमा करने और कार्यो के कार्यान्वयन सहित डीएमएफ के प्रदर्शन से सम्बन्धित जानकारी निर्धारित प्रारूप और निर्दिष्ट तरीके के अनुसार राज्य सरकार और खान मंत्रालय, भारत सरकार को साझा करेगा।

(ड) केंद्र सरकार परियोजनाओं की मंजूरी, धन जारी करने और परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी सहित डीएमएफ के प्रशासन की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित करेगी। प्रत्येक डीएमएफ को अनिवार्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि से केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से परियोजनाओं को मंजूरी देनी होगी, धनराशि जारी करनी होगी और परियोजनाओं के निष्पादन की निगरानी करनी होगी।

लेखा और संपरीक्षा 25 1 (एक) प्रबन्ध समिति न्यास के मामलों का सत्य और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करने के लिये न्यास निधि के संबंध में समुचित लेखापुस्तिका, दस्तावेज और अन्य अभिलेख अनुरक्षित करेगी या अनुरक्षित

करायेगी।

(क) डीएमएफ के खातों का ऑडिट नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा।

(ख) डीएमएफ के खातों का हर साल डीएमएफ द्वारा नियुक्त चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा या सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य तरीके से ऑडिट किया जाएगा और उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी।

(दो) न्यास के लेखा की संपरीक्षा कम से कम एक वर्ष पूरा होने पर किसी अर्ह संपरीक्षक द्वारा की जायेगी।

(तीन) न्यास के संपरीक्षकों की नियुक्ति, शासी परिषद की बैठक में राज्य के महालेखाकार द्वारा अधिसूचित अनुमोदित संपरीक्षक सूची से न्यासियों द्वारा ऐसी निबन्धन एवं शर्तो, जैसा कि न्यासियों द्वारा विनिश्चित किया जाय, पर की जायेगी।

(चार) संपरीक्षकों को न्यासियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकेगा।

2 उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी राज्य सरकार संपरीक्षक या संपरीक्षकों को नियुक्त कर सकती है अथवा महालेखाकार से किसी विशिष्ट वर्ष अथवा अवधि के लिये राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किये गये निबन्धनों और शर्तो पर लेखापरीक्षा हेतु अनुरोध कर सकेगी।

3 न्यास, अनुमोदित बजट और अगले वित्तीय वर्ष के लिये योजनाओं और परियोजनाओं सहित वार्षिक योजना, जिला पंचायत, जिला प्रशासन और राज्य सरकार के उनके सम्बन्धित वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु अग्रसारित करेगा।

4 न्यास, अनुमोदित योजनाओं और परियोजनाओं के संबंध में त्रैमास की समाप्ति के 45 दिन के अन्तर्गत भौतिक एवं वित्तीय निबन्धनों में एक त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करेगा और इसे तत्पश्चात तत्काल सम्बन्धित वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु जिला पंचायत और जिला प्रशासन को अग्रसारित करेगा।

5 प्रस्तर–19(5) न्यास, संपरीक्षा रिपोर्ट सहित अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना रिपोर्ट और अनुमोदित संपरीक्षा रिपोर्ट शासी परिषद द्वारा अनुमोदित किये जाने के पश्चात वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 60 दिन के भीतर जिला पंचायत, जिला

Scanned with OKEN Scanner

प्रशासन एवं राज्य सरकार को उनके सम्बन्धित वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु अग्रसारित करेगा।

वार्षिक रिर्पोट 26 (i) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन माह के अर्न्तगत डी0एम0एफ0 अपनी गतिविधियों पर एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसे डी0एम0एफ0 के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

(ii) वार्षिक रिर्पोट एक माह के भीतर राज्य सरकार को सौंपी जायेगी और डी0एम0एफ0 द्वारा इसके अनुमोदन की तिथि से अग्रेत्तर एक माह में डी0एम0एफ0 की वेवसाईट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।

(iii) डी0एम0एफ0 की वार्षिक रिर्पोट प्रत्येक राज्य के विधानसभा के समक्ष रखी जायेगी।

शिकायत निवारण 27 (क) डीएमएफ एक शिकायत निवारण तंत्र तैयार और कियान्वित करेगा ताकि प्रत्येक शिकायत का निवारण किया जा सके और कलेक्टर या किसी अन्य अधिकारी को शिकायत करने के 30 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता को उचित उत्तर दिया जा सके।

(ख) राज्य सरकार किसी भी शिकायत/सार्वजनिक शिकायत प्राप्त होने पर यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक शिकायत का डीएमएफ द्वारा निवारण किया जाए और शिकायतकर्ता को निर्धारित समय सीमा के भीतर उचित उत्तर दिया जाय।

(ग) केंद्र सरकार, डीएमएफ निधि के अनुचित उपयोग, परियोजनाओं के खराब कार्यान्वयन या पीएमकेकेकेवाई के दिशा–निर्देशों के उल्लंघन के संबंध में कोई शिकायत सार्वजनिक शिकायत प्राप्त होने परः–

(i) विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए शिकायत को राज्य सरकार को भेजें। राज्य सरकार भारत सरकार से संदर्भ प्राप्त होने के 2 महीने के भीतर एक विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(ii) वैकल्पिक रूप से यदि केंद्र सरकार उचित समझे तो ऐसी शिकायत पर किसी केंद्रीय टीम या किसी तीसरे पक्ष से जांच करा सकती है।

(iii) राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई रिपोर्ट या केंद्रीय टीम या तीसरे पक्ष की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, केंद्र सरकार राज्य सरकार को ऐसे निर्देश प्राप्त होने के एक महीने के भीतर आवश्यक सुधारात्मक उपाय करने का

Scanned with OKEN Scanner

निर्देश देगी।

(iv) राज्य सरकार सुधारात्मक उपायों के कार्यान्वयन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

अनुपालन तंत्र

28 अनुपालन तंत्रः–

(क) यदि जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास–

(i) नियम–34 के अनुसार बन्दोबस्ती निधि बनाये रखने में विफल रहता है,

(ii) नियम–23 का उल्लंघन करते हुए कोई भी फंड हस्तांतरित करता है,

(iii) नियम–24 के किसी भी खंड का अनुपालन करने में विफल रहता है,

(iv) नियम–25 में अनिवार्य के अनुसार खातों का ऑडिट कराने में विफल रहता है,

(v) नियम–26 में बताए अनुसार वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने और प्रकाशित करने में विफल रहता है,

(vi) नियम–27 में राज्य सरकार या केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है,

राज्य सरकार या केंद्र सरकार निर्देश दे सकती हैः–

(ख) किसी या सभी नए कार्यो की मंजूरी या किसी या सभी के निष्पादन का निलंबन पहले से ही स्वीकृत कार्य, और/या उन बैंकों द्वारा किसी या सभी कार्यो के लिए धनराशि जारी करने का निलंबन जहां डीएमएफ निधि जमा की गई है या निष्पादन एजेंसियों के बैंक खाते जहां डीएमएफ से धनराशि स्थानांतरित की गई है।

(ग) राज्य सरकार या केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए गए हैं, ऐसे निलंबन को वापस ले सकती है।

(घ) यदि (ख) या (ग) के अर्न्तगत कोई निर्देश केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाता है, तो ऐसे निर्देश को वापस लेने का कार्य केवल केंद्र सरकार द्वारा ही किया जाएगा।

न्यास को संदेय धनराशि का अनुश्रवण

29 (1) प्रत्येक पट्टेदार को जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास हेतु संदेय धनराशि, उस अधिकारी को जिसे स्वामित्त धनराशि संदेय हो, सूचित करके ऐसे बैंक खाते में जैसा कि फाउन्डेशन विनिर्दिष्ट करें, विप्रोषित करना होगा।

(2) प्रत्येक अधिकारी जो स्वामित्त धनराशि संग्रहीत करने के लिये प्राधिकृत हो, को

Scanned with OKEN Scanner

प्रत्येक पट्टेदार द्वारा संदेय और संदत्त धनराशि की पंजी अनुरक्षित करनी होगी और तत्संबंधी समेकित मासिक विवरण प्रत्येक माह की समाप्ति पर समिति के सदस्य सचिव को उपलब्ध कराना होगा।

(3) योजनाओं के मध्य अपेक्षाकृत अधिक समन्वयात्मक सहक्रिया सुनिश्चित करने हेतु जिला विकास समन्वय और अनुश्रवण समिति के अधीन गठित मंच, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की पहल है, उस समिति के मार्गदर्शनों के अनुसार जिला स्तर पर प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अधीन योजनाओं का अनुश्रवण करेगा।

प्रशासनिक व्यवस्था

30 (1) राज्य सरकार न्यास के प्रबन्ध एवं वार्षिक योजना के निष्पादन हेतु उक्त प्रयोजनार्थ यथापेक्षित जिला पंचायत में कार्यरत कर्मचारियों सहित अपने नियंत्रणाधीन कार्मिकों की सेवायें प्रदान करेगी।

(2) न्यास स्वयं को प्रशासनिक और प्राविधिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार के सरकारी विभागों से अपेक्षित संख्या में प्रमुख कार्मिकों या जिला परिषद् या ऐसे अन्य संवर्ग के नियमित कर्मचारी उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध कर सकता है। ऐसे कार्मिकों की सेवायें उनके अपने–अपने संवर्गों में बनी रहेगी। न्यास इस प्रयोजन हेतु अर्जित निधियों का 3 प्रतिशत तक व्यय वहन कर सकेगा।

(3) न्यास, सेवा प्रदाताओं से ऐसी सेवा प्रदान करने हेतु कह सकता है, जैसा कि न्यास के सुगम कार्य संचालन हेतु आवश्यक हो और अपने कार्य संचालन हेतु उपगत होने वाले आकस्मिक व्यय का उपलब्ध कर सकेगा।

(4) जिला खनिज न्यास संस्थान की प्रशासनिक सुपरवाइजरी एंव ओवरहैड व्यय आदि पर जो भी व्यय होगा, वो न्यास की वार्षिक अंशदान निधि के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। जिला खनिज संस्थान न्यास के लिए कोई भी अतिरिक्त पद सृजित नहीं किये जायेगें। यथा आवश्यकतानुसार पदों/वाहनों एवं अन्य सुविधाओं हेतु आउटसोर्स और अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति आदि की व्यवस्था अपनाई जायेगी। न्यास हेतु वाहन का क्रय यदि आवश्यक हो, तो प्रत्येक प्रकरण में शासन (प्रशासकीय विभाग) की सहमति प्राप्त की जायेगी।

Scanned with OKEN Scanner

संशोधन	31.	राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के एंव निदेशक, भूतत्व एंव खनिकर्म विभाग की संस्तुति के बिना किसी भी प्रकार का संशोधन जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास नियमावली, 2025 के अधीन गठित होने वाले न्यास में नहीं किया जायेगा।
न्यासियों का दायित्व	32. (1)	न्यासीगण सद्भावनापूर्वक और परिश्रम के साथ वास्तविक रूप में की गयी किसी बात के लिए उत्तरदायी नहीं होगें। न्यासीगण ऐसे किसी बैंकर, ब्रोकर, अभिरक्षक या किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी दायी या उत्तरदायी नहीं होंगे, जिनके पास उक्त व्यय धनराशि जमा की जाय या रखी जाय, न तो न्यास निधि के किन्हीं विनिधानों में होने वाली कमी या अपर्याप्तता के लिए और न ही अन्यथा किसी अनैच्छिक क्षति के लिए दायी या उत्तरदायी होंगे।
	(2)	न्यासीगण और प्रत्येक न्यायवादी या न्यासीगण द्वारा नियुक्त अभिकर्ता न्यास के निष्पादन में उपगत समस्त देनदारियों, क्षतियों और व्यय के संबंध में न्यास निधि से क्षतिपूर्ति किये जाने के लिए या घोर उपेक्षा और/या जानबूझकर किये जाने वाले कदाचार से उद्भूत होने वाले विवकों से भिन्न स्वयं में निहित या प्रतिनिधानित किसी शक्ति, प्राधिकार या विवेकाधिकार के लिए उत्तरदायी होंगे, परन्तु यह कि ऐसी क्षतिपूर्ति किसी भी दशा में कुल अंशदानों से अधिक नहीं होगी।
पारिश्रमिक	33	न्यासीगण अपनी सेवाओं के लिए किसी पारिश्रमिक के हकदार नहीं होंगे।
सामान्य दिशानिर्देश	34 (1)	पीएमकेकेकेवाई के तहत की जाने वाली विकासात्मक और कल्याणकारी गतिविधियां जहा तक सम्भव हो राज्य सरकार के साथ साथ केन्द सरकार द्वारा वित्त पोषित चल रही योजनाओ परियोजनाओं के पूरक की प्रकृति की होनी चाहिए।
	(2)	जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य और जिला योजनाओं के साथ अभिसरण प्राप्त किये जाने का प्रयास किया जायेगा ताकि फाउन्डेशन द्वारा की गयी गतिविधियां विकास और कल्याण गतिविधियों की पूरक हो और उन्हें अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के रूप में माना जाये।
	(3)	खनन प्रभावित क्षेत्रों में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए चल रही केंद्रीय और राज्य योजनाओं के साथ अभिसरण पर ध्यान केंद्रित

Scanned with OKEN Scanner

करेगा। योजनाएं बनाते समय, डीएमएफ इच्छुक जिला कार्यक्रम और इच्छुक ब्लॉक कार्यक्रम के तहत लक्ष्यों को प्राप्त करने को प्राथमिकता देगें।

(4) परियोजना प्रबंधन इकाई–फाउन्डेशन की वार्षिक प्राप्तियों के 5 प्रतिशत से अधिक की राशि का उपयोग फाउन्डेशन की प्रशासनिक, पर्यवेक्षी और ओवरहेड लागत के लिए नहीं किया जा सकता है। जहां तक संभव हो, जिला खनिज फाउन्डेशन के अन्तर्गत कोई अस्थायी/स्थायी पद सृजित नहीं किया जाना चाहिए। फाउन्डेशन द्वारा किसी भी अस्थायी/स्थायी पद के सृजन और वाहन की खरीद के लिए राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होगी। हालांकि, न्यूनतम आवश्यक कर्मचारियों को संविदा के आधार पर नियुक्त किया जा सकता है। डीएमएफ की क्षमता बढ़ाने और डीएमएफ फंड के प्रभावी उपयोग के लिए, वार्षिक संग्रह के 50 करोड़ रुपये की लागत से योजना, तकनीकी, लेखांकन और निगरानी सहायता के लिए एक परियोजना प्रबंधन इकाई स्थापित की जाएगी और ऐसे पीएमयू की लागत प्रशासनिक खर्चो से पूरी की जा सकती है। पीएमयू अनुबंध के आधार पर आवश्यक योग्य जनशक्ति को नियुक्त कर सकता है। पीएमकेकेकेवाई के तहत परियोजनाओं के लिए कर्मियों की नियुक्ति केवल सीमित अवधि के लिए विशुद्ध रूप से संविदात्मक होगी।

(5) बंदोबस्ती निधि– स्थायी आजीविका प्रदान करने के लिए वार्षिक प्राप्तियों के 10: से अनाधिक राशि बंदोबस्ती निधि के रूप में रखी जानी चाहिए। जिन जिलों में वार्षिक संग्रह रु. 10 करोड़ या उससे अधिक है, को बंदोबस्ती निधि बनाए रखी जाएगी। बंदोबस्ती निधि को सरकारी प्रतिभूतियों/बांडों और अनुसूचित बैंकों की एफडी और राज्य सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त अन्य उपकरणों में निवेश किया जा सकता है। बंदोबस्ती निधि का उपयोग उन क्षेत्रों में आजीविका बनाने और बनाए रखने के लिए किया जाना चाहिए, जहां खनिज की कमी सहित किसी भी कारण से खनन गतिविधि बंद हो गई है।

(6) एक से अधिक जिलों में प्रभावित क्षेत्र – यदि एक जिले में किसी खदान का प्रभावित क्षेत्र दूसरे जिले के अधिकार क्षेत्र में भी आता है (भले ही वह दूसरे राज्य में हो), तो फाउंडेशन द्वारा खदान से एकत्र की गई राशि का प्रतिशत, अनुपात में प्रभावित क्षेत्रों का हिस्सा, ऐसे क्षेत्रों में गतिविधियों को शुरू करने के

Scanned with OKEN Scanner

लिए सम्बन्धित अन्य जिले के फाउन्डेशन को हस्तांतरित किया जाएगा। एक परियोजना, जो प्रभावित क्षेत्र/लोगों के लाभ के लिए है, लेकिन जिले की भौगोलिक सीमा से परे तक फैली हुई है, उसे राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी प्राप्त करने के बाद पीएमकेकेकेवाई के तहत शुरू किया जाना चाहिए।

(7) कार्यो/अनुबंधों का कार्यान्वयन

i– ऐसी खरीद के लिए संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद डीएमएफ द्वारा कार्यो/सामानों की खरीद की जा सकती है। GeM पोर्टल के माध्यम से खरीद को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

ii– सभी निष्पादन एजेंसियों और लाभार्थियों को धनराशि का हस्तांतरण केवल प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से उनके बैंक खाते में किया जाएगा।

न्यास की मुहर — 35 न्यासीगण शासी परिषद् की बैठक में न्यास के प्रयोजन हेतु मुहर उपलब्ध कराने का विनिश्चय कर सकेंगें और उन्हें समय–समय पर यह शक्ति होगी कि वे उसे नष्ट कर दें और उसके बदले में नयी मुहर रखें। न्यास की मुहर कार्यकारी समिति के अध्यक्ष की अभिरक्षा में रहेगी और अध्यक्ष को न्यास के लिए और उसकी ओर से उसका उपयोग करने का प्राधिकार प्राप्त होगा।

प्रतिसंहरणीयता — 36 यह न्यास राज्य सरकार के विवेक पर प्रतिसंहरणीय होगा, उक्त न्यास उस समय तक अस्तित्व में रहेगा, जैसा कि राज्य सरकार आदेश द्वारा विनिश्चित करे। न्यास समाप्त होने की दशा में न्यास की समस्त आस्तियां और देनदारियां राज्य सरकार में स्वतः निहित/अन्तरित हो जायेगी।

आज्ञा से,

(बृजेश कुमार संत)
सचिव

Scanned with OKEN Scanner